

**कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)**

**--: विविध आदेश ::--**

क्रमांक 13 / एक-11-2 / 98

विदिशा, दिनांक : 12/03/2024

श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, विदिशा द्वारा न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद क्रं. 39ए/2022 प्रिंस भार्गव वि. मनोरमा आदि में प्रतिवादी क्रं. 7 के स्कूल में पुत्र अध्ययनरत होने के कारण उक्त व्यवहार वाद अन्यत्र न्यायालय में अंतरित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सारणी के स्तम्भ क्रमांक 02 में वर्णित न्यायालय से स्तंभ क्रमांक 03 अनुसार प्रकरण प्रत्याहरित कर, विधि अनुसार निराकरण हेतु स्तंभ क्रमांक 05 में वर्णित न्यायालय में अंतरित किया जाता है :-

क्रं0	न्यायालय से	प्रकरण का विवरण	प्रकरणों की संख्या	न्यायालय में
01	02	03	04	05
01.	श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, विदिशा	व्यवहार वाद क्रं. 39ए/2022 प्रिंस भार्गव वि. मनोरमा आदि	01	श्री चंदनसिंह चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, विदिशा

*sd-*  
(जाकिर हुसैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
विदिशा (म0प्र0)

विदिशा, दिनांक 12/03/2024

पृष्ठांकन क्रमांक 866 / एक-11-2 / 98  
प्रतिलिपि :-

1. श्री चंदनसिंह चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, विदिशा
2. श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, विदिशा
3. अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, विदिशा, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, विदिशा, की ओर संबंधित न्यायिक अधिकारी को ई-मेल करने एवं न्यायालय की साईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. सिस्टम असिस्टेंट, विदिशा की ओर प्रकरण संबंधित न्यायालय में अंतरित किये जाने हेतु प्रेषित।

*y.m*  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
विदिशा (म0प्र0)